**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 09.07.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से 1243 ग्राम अवैध सूखा गांजा व अवैध गांजे की बिक्री के 3200 रुपये बरामद ।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा गश्त एवं वाहन चेकिंग के दौरान दिनांक 08.07.2025 को देर शाम एक व्यक्ति को अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक थैले में अवैध सूखा गांजा व तलाशी के दौरान गांजा बिक्री से प्राप्त रुपये बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसकी भूरागढ़ बाइपास पर सिंह दरबार के पास दुकान है और उसी दुकान में अवैध सूखे गांजे की बिक्री करता है तथा शेष बचे गांजे को वह लेकर वापस घर जा रहा था।

**बरामदगी-**

- 1243 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 3200 रुपए अवैध गांजे की बिक्री से प्राप्त

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी नगौता थाना गौरीहार जनपद छतरपुर (म0प्र0)।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी भूरागढ़
2. हे0कां0 विमल मिश्रा
3. कां0 अश्वनी उपाध्याय